दिनांक 14/3/18 को पेश हो।

14/3/18 वकील फरीकैन हाजिर। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 11/4/18 को पेश हो।

11/4/18 वकील फरीकैन हाजिर। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि के एक निषेधाज्ञा वाद पत्र न्यायालय हाजा में विचाराधीन है तथा भूमि प्रार्थीगण की है या अप्रार्थीगण की है इसका फैसला वाद में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा। एक ग्राम में एक ही नाम के दो व्यक्ति पृथक-2 आदि के होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला किसी के पक्ष में भी नहीं बनता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों ने ही दावा व स्टे प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उनके पूर्वजों को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुई है अर्थात प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण में से किसके पूर्वज को और से आवंटन/ विरासत/ बेचान/ वसीयत/ दान आदि के द्वारा प्राप्त हुई है। पृथक से राजस्व रिकार्ड में भूमि विवादित के दर्ज होने का नामा० किसी भी पक्षकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि में कब्जे को लेकर दोनों पक्षकारों ने अपना-अपना कब्जा होने का कथन किया है लेकिन किसी भी पक्षकार ने अपने कब्जे का प्रमाण

निरन्तर

हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
काडूराम वगैरा vs रामचरण वगैरह प्र०पत्र रिसीवर	

करने हेतु कोई भी दस्तावेज गवाह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रा० पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है तथा अप्रार्थीगण से लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा है। लेकिन वादीगण/प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो सके विवादित आराजी पर कब्जे बाबत को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच कोई झगड़ा हुआ हो। इस सम्बन्ध में पुलिस में दर्ज कराई गई किसी एफ.आई.आर. की प्रति भी वादीगण ने प्रस्तुत नहीं की है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति तांफैसला तक बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना ही पर्याप्त अनुतोष है, इस प्रकरण में रिसीवर की नियुक्ति आवश्यक होने का कोई भी ठोस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत नियुक्ति रिसीवर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

Scanned by CamScanner